ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय : प्लॉट सं. 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001

ओ.बी.सी.

ORIENTAL BANK OF COMMERCE
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
Head Office : Plot No. 5, Institutional Area,
Sector - 32, Gurugram-122001

HO/MBD/2019 05.06.2019

Scrip Code: ORIENTBANK	**Scrip Code: 500315**
The Executive Director, **National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, 5th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),Mumbai-400051	General Manager, Dept. of Corporate Services, **Bombay Stock Exchange Limited,** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Mumbai-400001

Dear Sir/Madam,

Reg. Notice of 25th Annual General Meeting of the Bank and Book Closure

This is to inform that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Bank will be held on Saturday, 29th June 2019 at 10.00 a.m. at the PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016.

In compliance of Regulation 42 of SEBI Listing Regulations read with Regulation 12 of Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 23rd June 2019 to 29th June 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Further, pursuant to Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Bank has provided its shareholders the option to exercise voting rights through remote e-voting provided by NSDL from 26th June 2019 (09.00 a.m.) to 28th June 2019 (05.00 p.m.) w.r.t. business to be transacted at the AGM.

The cut-off date for Remote e-voting/voting at the venue of the meeting will be Saturday, 22nd June 2019.

A copy of Notice of the Annual General Meeting is enclosed. You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,

Company Secretary
(as enclosed)

Oriental Bank of Commerce

Notice of 25th Annual General Meeting

Saturday June 29, 2019

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के शेयरधारकों की 25वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार 29 जून, 2019 को प्रातः 10:00 बजे **पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाऊस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110016** में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

मद सं. 1: ''31 मार्च, 2019 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार करने हेतु।''

विशेष कारोबार

मद सं. 2: एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्प(पों) पर विचार करने और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से ''अधिनियम'' बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (अब से ''योजना'' कहा जाएगा), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 (अब से ''ओबीसी विनियम'' कहा जाएगा), किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित लागू अन्य सभी अधिनियम/कानून तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथालागू अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो, तथा इस संबंध में यथापेक्षित भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा/या किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति के अध्यधीन तथा इस प्रकार का अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित किन्हीं नियमों, शर्तों तथा संशोधनों के अध्यधीन तथा जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, तथा जो सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 यथा संशोधित (अब से सेबी आईसीडीआर विनियम कहा जाएगा) तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 यथा संशोधित (अब से सेबी सूचीकरण विनियम कहा जाएगा) तथा जो उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अध्यधीन हैं, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के निदेशक मंडल (अब से "मंडल" कहा जाएगा जिसमें मंडल द्वारा गठित कोई समिति सम्मिलित होगी) को बैंक के शेयधारकों की सहमति है तथा एतद्द्वारा प्रदान की जाती है कि भारत या विदेश में ऑफर दस्तावेज/ विवरणिका/ और इसी प्रकार के किसी अन्य दस्तावेज द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन पर आरक्षण हेतु प्रावधान तथा/या निर्गम के उस भाग पर प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा उस समय लागू कानून द्वारा अनुमत्य व्यक्तियों की इस प्रकार की श्रेणी सहित) ₹3000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित), की राशि के लिए निर्गमित कर सकता है जो अधिनियम की धारा 3(2क) के अनुसार अथवा संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी के अंदर होगी, जिसे भविष्य में अधिनियम के अनुरूप बनाया जाएगा के अनुसार बैंक की मौजूदा प्रदत्त पूंजी तक इस प्रकार निर्गत कर सकता है कि (भारत सरकार

NOTICE

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Saturday, 29th June 2019 at 10.00 a.m. at **PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016,** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: "To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2019, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 2: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act") the Banking Regulation Act, 1949, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as "OBC Regulations") and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/ Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the "SEBI ICDR Regulations") as amended SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 as amended (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which term shall include any Committee constituted by the Board) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/ or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares may be issued for an amount not exceeding ₹3000 crore (including share premium) which together with the existing paid-up capital of the Bank will be within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the

के वर्तमान दिशानिर्देश के अनुसार) किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी के 52% से कम धारित न करती हो, भले वो बाजार मूल्य से बट्टे पर या प्रीमियम पर हो, एक या अधिक भागों में हो, सेबी आईसीडीआर विनियमों तथा लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम या किसी अन्य पद्धति द्वारा योग्य संस्थागत प्लेसमेंट ('क्यूआईपी') के माध्यम से जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, ईएसपीएस के माध्यम से बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी अथवा सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, अहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई) बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयर/बैंक की अन्य प्रतिभूति में विनियमों/दिशानिर्देशों या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा नियुक्त तथा/या नियुक्त किए जाने वाले किसी मर्चेंट बैंकर(रों) या अन्य परामर्शदाता(ओं) के परामर्श से, इस प्रकार से कि तथा इन नियमों एवं शर्तों के अनुसार जैसा उपयुक्त समझा जाए, सेबी आईसीडीआर विनियमों के बिना सीमा के लागू कानूनों के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति अनुसार।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अधि-आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ), अधिकार निर्गम, अर्हता प्राप्त संस्थान द्वारा प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी द्वारा अनुमोदित अन्य माध्यम द्वारा होगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा/या हामीदारों तथा/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या जैसा मंडल द्वारा अपने विवेक से निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन मूल्य या मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो सेबी आईसीडीआर विनियमों तथा किसी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हों या नहीं भी हो सकते हैं और ऐसे मूल्य को सेबी आईसीडीआर विनियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थान द्वारा प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयर का कोई भी निर्गम उस मूल्य पर होगा जो कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत दिए गए मूल्य सूत्र (क्यूआईपी न्यूनतम मूल्य) के अनुरूप निर्धारित किए गए मूल्य से कम न हो, तथापि, बैंक लागू कानूनों के अनुरूप 5% (पांच प्रतिशत) या क्यूआईपी न्यूनतम मूल्य पर लागू कानून के अंतर्गत अनुमत प्रतिशत तक छूट दे सकता है।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार पात्र अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) को अर्हता प्राप्त संस्थान द्वारा प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से इक्विटी शेयर निर्गमित किए जाने की स्थिति में लागू विधि के अध्यधीन, इक्विटी शेयर के मूल्य निर्धारण की 'संगत तिथि' मण्डल की बैठक की तिथि होगी, जिसमें मण्डल इक्विटी शेयर के लिए क्यूआईपी खोलने का निर्णय लेता है। अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/अधिकार निर्गम के माध्यम से इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण की संगत तिथि, सेबी आईसीडीआर विनियम और अन्य लागू कानून या विनियम में यथानिर्दिष्ट तिथि होगी।''

Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up equity capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India), whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, by way of a qualified institutions placement ('QIP') or by way of public issue, rights issue or any other method in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations and applicable laws including to one or more members, employees of the Bank by way of ESPS, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") including Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ other securities of the Bank as may be permitted under applicable laws including without limitation, the SEBI ICDR Regulations, as may be deemed appropriate, in such manner and on terms and conditions, in consultation with any merchant banker(s) or other advisor(s) appointed and / or to be appointed by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on Public Offer (FPO), Rights Issue, Qualified Institutions Placement, Private Placement or any other mode approved by GOI/RBI/SEBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, the SEBI ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT any issue of Equity Shares by way of QIP in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations shall be at such price which is not less than the price determined in accordance with the pricing formula provided under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations (the 'QIP Floor Price'), however the Bank may in accordance with applicable laws, also offer discount of note more than 5% (five percent) or such percentage as permitted under applicable laws on the QIP Floor Price."

"RESOLVED FURTHER THAT subject to applicable law, in the event Equity Shares are issued to eligible QIBs by way of QIP in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, the 'relevant date' for the purpose of pricing of the Equity Shares shall be the date of the meeting of the Board in which the Board decides to open the QIP of Equity Shares. The Relevant Date for the purpose of pricing of the Equity Shares by way of Follow on Public Offer (FPO)/Rights Issue will be the date as specified under the SEBI ICDR Regulations and other applicable law or regulation."

"RESOLVED FURTHER THAT the allotment of Equity Shares to be made by way of the QIP to the eligible QIBs, in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, shall be completed within 365 days from the date of the shareholders resolution or such other time as may be allowed to under SEBI ICDR Regulations from time to time."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार पात्र अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता को अर्हता प्राप्त संस्थान द्वारा प्लेसमेंट के माध्यम से किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का आवंटन, शेयरधारकों के संकल्प की तारीख से 365 दिनों या सेबी आईसीडीआर विनियम के अंतर्गत समय-समय पर यथास्वीकृत समय के भीतर पूरा किया जाएगा।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों, अधिनियम के प्रावधानों, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स विनियम के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2017 तथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) एवं ऐसे सभी आवश्यक प्राधिकारी (जिसे यहां सामूहिक रूप से उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसार तथा उन शर्तों के अध्यधीन जो इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या मंजूरी प्रदान करते समय इनके द्वारा निर्धारित की गई हो (जिसे अब से "औचित्यपूर्ण अनुमोदन" कहा जाएगा), मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इक्विटी शेयर समय-समय पर एक या अधिक भागों में इस प्रकार से निर्गमित, प्रस्तावित ततः आबंटित कर सकता है, जिससे बैंक में केंद्र सरकार का किसी भी समय इक्विटी कैपिटल 52% से कम न हो "योग्य संस्थागत प्लेसमेंट ('क्यूआईपी') द्वारा या बाजार मूल्य या लागू मूल्यांकन फार्मूले के अनुसार गणना किए गए मूल्यों पर छूट या प्रीमियम पर, इस प्रकार के मूल्य या मूल्यों पर लागू सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार तथा लागू विधि अनुसार सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम या अन्य किसी पद्धति द्वारा, तथा बिना किसी सीमा के लागू कानून सेबी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत यथानुमत्य, जैसा उपयुक्त समझा जाए बैंक द्वारा नियुक्त तथा/या नियुक्त किए जाने वाले किसी मर्चेंट बैंकर(रों) या अन्य परामर्शदाता(ओं) के परामर्श से इस प्रकार से तथा नियमों एवं शर्तों पर, निवेशकों की ऐसी श्रेणी जिन्हें इस प्रकार के निर्गम में निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें सेबी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत यथापरिभाषित पात्र योग्य संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) सम्मिलित हों, परंतु यह उन्हीं तक सीमित न हो, भले ही इस प्रकार के निवेशक बैंक के सदस्य हों या न हों"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को निर्गमन, आबंटन तथा मंडल द्वारा सहमत सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित या अधिरोपित प्रस्ताव में किसी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार तथा शक्ति होगी।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों यदि कोई हों, एनआरआई, एफ़आईआई तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के (इसके अंतर्गत निर्धारित नियमों एवं विनियमों सहित) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यधीन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर किया जाएगा।''

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the SEBI Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the OBC Regulations, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and / or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the equity capital of the Bank(as per the extant directive of Government of India), to such category of investors that may be permitted to invest in such issuance, including but not limited to eligible Qualified Institutional Buyers (QIBs) as defined under the SEBI ICDR Regulations, whether or not such investors are member of the Bank, by way of a qualified institutions placement ('QIP') or by way of public issue, rights issue or any other method in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations and applicable laws at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices calculated as per the applicable pricing formula and as may be permitted under applicable laws including without limitation, the SEBI ICDR Regulations, as may be deemed appropriate, in such manner and on terms and conditions, in consultation with any merchant banker(s) or other advisor(s) appointed and / or to be appointed by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including Rules & Regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होने वाले नए इक्विटी शेयर ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स विनियम यथा संशोधित, के अधीन होंगे एवं इन्हें हर तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप माना जाएगा और घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो, के हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयर किसी भी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के लिए मंडल एतदद्वारा सार्वजनिक प्रस्ताव, अधिकार निर्गम, अर्हता प्राप्त संस्थान प्लेसमेंट की शर्तें तय करने के लिए प्राधिकृत है, जिसमें निवेशकों की वह श्रेणी जिनको प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम का मूल्य, निर्गम का प्रीमियम मूल्य जिसके संबंध में मंडल अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी उचित हो, इस प्रकार के सभी कर्तव्य, कार्य, मामले और विषय के बारे में निर्णय लेने तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों के संबंध में अपने सम्पूर्ण विवेक से आवश्यक, उपयुक्त या अपेक्षित हो और प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन तथा निर्गम से प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग से संबन्धित प्रश्नों, कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान करने के लिए अनुदेश देने या निर्देश देने तथा नियम व शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, अंतर, बदलाव, विलोपन, परिवर्धन को प्रभावी करने और लागू करने, जो यह अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित व उपयुक्त समझें, जिसके लिए शेयरधारकों से आगे अनुमोदन लेने की आवश्यकता न हो तथा इस संकल्प के द्वारा बैंक और मंडल को दी गई सभी या किसी शक्ति का प्रयोग मंडल द्वारा किया जा सकता है।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को अग्रणी प्रबन्धकों, कानूनी सलाहकारों, हामीदारों, बैंकरों, यथावश्यक परामर्शदाताओं और ऐसी सभी एजेंसियों को रखने/नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जो इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने में तथा कमीशन, दलाली, शुल्क अथवा उसके जैसे माध्यमों से प्रतिपूर्ति करने में संलिप्त या उससे संबन्धित हों तथा ऐसी एजेंसियों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि का निष्पादन करते हों तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों पर निर्गमित इक्विटी शेयरों का सूचीकरण करते हों, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मण्डल को अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों, जिसमें निवेशकों के वर्ग सहित, जिन्हें इक्विटी शेयर आबंटित किए जाने हैं, की सलाह से प्रत्येक बार में आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम अथवा बट्टा खाता, रिकॉर्ड तिथि निर्धारण अथवा बही बंदी तथा भारत में एवं/अथवा विदेश में एक अथवा अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण, जैसा निदेशक मण्डल अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे निर्गम (मों) के फॉर्म तथा शर्तें निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे इक्विटी शेयर जो शेष रह गए हैं, उनके बारे में मंडल जैसा भी उचित समझे उनको विधिसम्मत तरीके से अपने पूर्ण विवेक से निपटा सकता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि संकल्प को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंडल को ऐसे सभी प्रकार के कार्यों, विलेखों, मामलों को अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी आवश्यक और उचित, विधिवत और वांछनीय समझे, करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम से

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the OBC Regulations, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, rights issue, qualified institutions placement, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deem fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to engage/appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, number of equity shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue, number of equity shares, the price, premium or discount on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of these equity shares as are not subscribed may be disposed of by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion

संबन्धित प्रश्नों, कठिनाइयों, शंकाओं का समाधान करने तथा शेयरधारकों के अतिरिक्त परामर्श एवं अनुमोदन के बिना ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और विषय, सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों और लेखन को अंतिम रुप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें अपने पूर्ण विवेक से उपयुक्त, उचित अथवा अपेक्षित समझें अथवा अंतिम आशय तक यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक/(कों) या निदेशकों की समिति को प्रदत्त सभी शक्तियों या किसी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

स्थान: गुरुग्राम — **मुकेश कुमार जैन**
दिनांक: 13.05.2019 — **प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

नोट

पूंजी को प्राप्त करने हेतु जारी नोटिस की मद सं.2 से संबंधित प्रमुख तथ्यों को विश्लेषित करने वाली व्याख्यात्मक विवरणी नोटिस के साथ संलग्न है।

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर एक प्रॉक्सी को बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने के लिए पात्र है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि यह फॉर्म बी (संलग्न) पर न हो और यह बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए यह बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में सोमवार, 24 जून, 2019 को अथवा इससे पूर्व सायं 5.00 बजे (बैंक के कार्य समाप्ति समय) तक प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी अथवा निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक आम बैठक में भाग लेने अथवा मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रति, जिसमें यह पारित किया गया है, सोमवार, 24 जून, 2019 को अथवा इससे पूर्व सायं 5.00 बजे (बैंक के कार्य समय) तक बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में जमा कर दी गई हो। कृपया नोट करें कि कोई भी व्यक्ति जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, उसे ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or in his absence to the Executive Director(s) or to the Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors
For ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Place: Gurugram — **Mukesh Kumar Jain**
Date: 13.05.2019 — **Managing Director & CEO**

NOTES

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of item No. 2 of the Notice regarding raising of Capital is annexed to the Notice.

1. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" (annexed) and also available on the Bank's website. The proxy form, in order to be effective must be received at the Bank's Head Office situated or its Corporate Office situated on or before 5.00 p.m. (closing hours of the Bank) of Monday, the 24th June, 2019.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. of Monday, the 24th June, 2019. Please note that no person shall be appointed as an authorised representative who is an officer or an employee of the Bank as per the provisions of OBC Regulations.

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र पास

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह- मतपत्र पास इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के पास मतदान के लिए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रयोग करने का विकल्प है। जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है वे असाधारण आम बैठक की तिथि पर बैठक स्थल पर होने वाले मतदान में मतदान कर सकते हैं। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि विवरणों की जांच कर लें और रिक्त स्थान भर लें, इसमें दिए गए स्थान में अपने हस्ताक्षर करें और इसे बैठक के स्थल पर जमा करा दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह- प्रवेश पास-सह-मतपत्र पास में **"प्रॉक्सी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि"**, जो भी हो, उल्लेख करना चाहिए। ऐसे प्रवेश पास मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिए जमा कर दिए जाएंगे।

4. सदस्यों का रजिस्टर बन्द होना

25वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही 23 जून, 2019 से 29 जून, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

5. मतदान अधिकार

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के इतर, बैंक का कोई शेयरधारक उसके द्वारा बैंक के समस्त शेयरधारकों के मताधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा। प्रत्येक शेयरधारक, जो शनिवार, 22 जून, 2019 (रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक स्थल पर मतपत्र के द्वारा मतदान करने के शेयरधारकों के मताधिकार का निर्धारिण करने के लिए निर्दिष्ट तिथि) को अथवा इससे पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, का उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा **बशर्ते यह केन्द्र सरकार के इतर कुल मताधिकार का अधिकतम 10%** होगा।

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो मतदान के लिए, रजिस्टर में पहले स्थान पर नाम वाला व्यक्ति उसका संपूर्ण धारक माना जाएगा।

(I) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

I. सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम,2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक सहर्ष अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है और कारोबार ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। एजीएम के स्थल से इतर स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का प्रयोग करके मतदान ("रिमोट ई-वोटिंग") की सुविधा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

II. मतपत्र के द्वारा मतदान की सुविधा वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में शामिल होने वाले ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है, मतपत्र के द्वारा बैठक में मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

3. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum Ballot Paper Pass is annexed. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives of Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their votes at voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the meeting. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details and fill in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy holders/Authorized Representatives of shareholders should state on the Attendance Slip – cum - Entry Pass – cum - ballot paper pass as **"Proxy"** or **"Authorized Representative"** as the case may be. Such entry passes shall be surrendered to obtain ballot paper at the time of Poll.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 23rd June 2019 to 29th June 2019 (both days inclusive) for the purpose of the 25th Annual General Meeting.

5. VOTING RIGHTS

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of **ten per cent** of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. Each shareholder who has been registered as a shareholder on or before Saturday, 22nd June 2019 (cut-off date for determining the voting rights of the shareholders both for remote e-voting and voting by ballot paper at the venue of the Meeting) shall have one vote for each share held by him **subject to maximum of 10% of the total voting rights** other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the OBC Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

(I) VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

I. In compliance with provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Bank is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM) ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

II. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting and the *members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting* shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.

III. ऐसे सदस्य भी वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है किंतु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

IV. रिमोट ई-वोटिंग अवधि 26 जून, 2019 (प्रातः 9.00 बजे) से शुरु होकर 28 जून, 2019 को (सायं 5.00 बजे) (दोनों दिन शामिल) समाप्त होगी। इस अवधि में बैंक के सदस्य, जो अंतिम तिथि 22 जून, 2019 को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल बंद कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर मतदान करने के बाद सदस्य को इसे बाद में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

V. एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के "दो चरण" हैं :

पहला चरणः एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉगिन करें।

दूसरा चरणः एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान करें।

पहले चरण का विवरण निम्नानुसार हैः

एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर निम्न यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें - https://www.evoting.nsdl.com/
2. एक बार ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुल जाने पर लॉगिन आइकन, जो 'शेयरधारक' खण्ड में उपलब्ध है, पर क्लिक करें
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड तथा स्क्रीन पर दिखने वाला सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

   वैकल्पिक रूप से यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप https://www.eservices.nsdl.com/ पर अपनी मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ लॉगिन कर सकते हैं। एक बार अपने लॉगिन विवरणों के साथ आपके द्वारा एनएसडीएल की ई-सेवाओं पर लॉगिन करने पर, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान करें, पर जा सकते हैं।
4. आपकी यूजर आईडी विवरण निम्नानुसार हैः

शेयर धारिता का प्रकार अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा मूर्त रूप	**आपकी यूजर आईडी हैः**
क) ऐसे सदस्य जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 वर्णों वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी है आईएन300*** तथा क्लाइंट आईडी 12****** है तब आपकी यूजर आईडी है आईएन300***12******

III. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Annual General Meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The remote e-voting period commences on 26th June 2019 (9:00 a.m.) and ends on 28th June 2019 (5:00 p.m.) both days inclusive. During this period members' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22nd June, 2019, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

V. The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 are mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	**Your User ID is:**
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.

ख) ऐसे सदस्य जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी है 12********** तब आपकी यूजर आईडी है 12**********
ग) मूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	ईवीईएन संख्या के बाद बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या है 001*** तथा ईवीईएन है 101456 तब यूजर आईडी है 101456001***

5. आपके पासवर्ड का विवरण निम्नानुसार हैः

   क) यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप लॉगिन करने एवं मतदान के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

   ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली को पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड', जो आपको सूचित किया गया था, को पुनः प्राप्त करना होगा। एक बार आपके द्वारा अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेने पर आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

   ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः कैसे प्राप्त करें ?

      i) यदि आपकी ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते में अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपकी ई-मेल आईडी पर भेजा गया है। अपने मेल बॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूंढें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् .पीडीएफ फाइल को खोलें। .पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी अथवा मूर्त रूप में शेयर रखने पर फोलियो संख्या पासवर्ड है। .पीडीएफ फाइल में 'यूजर आईडी' तथा आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' दिया गया है।

      ii) यदि आपकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके डाक पते पर आपको भेजा गया है।

6. यदि आप 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं अथवा यह आपको प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं :

   क) "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें (यदि आपके पास शेयर एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

   ख) Physical User Reset Password? (यदि आपके पास शेयर मूर्त रूप में हैं) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

   ग) यदि आप अब भी उपरोक्त दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, अपने पैन संख्या, अपने नाम तथा अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting.nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

   c) How to retrieve your 'initial password'?

      (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

      (ii) If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

   a) Click on "Forgot User Details/Password?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com

   b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com

   c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

घ) सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर मतदान करने के लिए ओटीपी (One time Password) आधारित लॉग-इन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद चेक-बॉक्स में "Agree to Terms and conditions" पर टिक करें।

8. अब आपको ''लॉगिन'' बटन पर क्लिक करना होगा।

9. ''लॉगिन'' बटन क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण 2 के विवरण निम्नानुसार हैं :

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कैसे करें?

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग के होम पेज को देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। उसके पश्चात् एक्टिव वोटिंग साइकिल्स पर क्लिक करें।

2. एक्टिव वोटिंग साइकिल्स पर क्लिक करने के बाद, आप सभी "EVEN" कंपनियों को देख पाएंगे जिनके आपके पास शेयर हैं तथा जिनके मतदान साइकिल सक्रिय स्थिति में हैं।

3. बैंक के "EVEN" का चयन करें।

4. जैसे ही वोटिंग पेज खुलता है आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं ।

5. समुचित विकल्प अर्थात् सहमति अथवा असहमति का चयन करके, जितने शेयरों के लिए आप मतदान करना चाहते हैं, उतनी संख्या को सत्यापित/संशोधित करके अपना मतदान करें और Submit" पर तथा "Confirm" पर भी, जब दिखाई दे, क्लिक करें।

6. पुष्टि करने के बाद "Vote cast successfully" संदेश दिखाई देगा।

7. आप किए गए मतदान का पुष्टिकरण पृष्ठ पर उपलब्ध प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके प्रिंट भी ले सकते हैं।

8. एक बार संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों,एचयूएफ,एनआरआई इत्यादि के अलावा) को विधिवत् अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं), जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित मण्डल संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति(पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट में) evoting@nsdl.co.in को प्रति चिन्हित करते हुए संवीक्षक को nitesh@indiacp.com पर ई-मेल द्वारा भेजनी आवश्यक है।

2. इस बात की जोरदार संस्तुति की जाती है कि किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना पासवर्ड न बताएं और अपने पासवर्ड को गुप्त रखने का यथासंभव प्रयास करें। सही पासवर्ड खण्ड में पांच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट निष्क्रिय हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको पासवर्ड रिसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" अथवा Physical User Reset Password? का प्रयोग करना होगा।

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 are given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.

2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.

3. Select "EVEN" of Bank.

4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to nitesh@indiacp.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. किसी प्रकार की शंका होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

VI. सदस्यों के मताधिकार बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के समानुपात में होंगे बशर्ते यह अंतिम तिथि 22 जून, 2019 को केन्द्र सरकार से इतर, समस्त मताधिकारों का अधिकतम 10% होगा।

VII. कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजने के बाद बैंक के शेयर धारण करता है और बैंक का शेयरधारक बन जाता है तथा अंतिम तिथि अर्थात् 22 जून, 2019 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in अथवा बैंक के रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लिमि.को delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

VIII. ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम अंतिम तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा निक्षेपक (डिपॉजिटरी) द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।

IX. निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग एवं बैठक में हुए मतदान की संवीक्षा करने के लिए बैंक द्वारा मै. पीआई एण्ड एसोसिएटस, कार्यरत कंपनी सचिव (एफआरएन P2014UP035400) को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

X. एजीएम में मतदान किए जाने वाले संकल्प पर चर्चा के बाद अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित सभी सदस्यों को, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाते हुए अपना मत नहीं दिया है, संवीक्षक की सहायता से 'मतपत्र' द्वारा मतदान की अनुमति देंगे।

XI. आम बैठक में मतदान की समाप्ति के बाद संवीक्षक पहले बैठक में डाले गए मतों की गिनती करेगा तथा उसके बाद कम-से-कम ऐसे दो गवाहों जो बैंक के कार्मिक नहीं हैं, के समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को खोलेगा तथा आम बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट को अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा तत्काल मतदान का परिणाम घोषित करेगा।

XII. अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषित परिणामों को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम घोषित होते ही अविलंब बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। परिणामों को तत्काल एनएसई और बीएसई को भी अग्रेषित किया जाएगा।

6. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट को भुनाया नहीं है/जिन्हें पिछली अवधियों यानि वर्ष 2011-2012 से 2015-16 तक का लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए दावा करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

निवेशक के नाम और लाभांश के वर्ष सहित अप्रदत्त लाभांश का विवरण भी निवेशक संबंधों के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है ताकि शेयरधारक रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट/या बैंक से कॉरपोरेट कार्यालय, गुरुग्राम में

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in

VI. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank **subject to maximum of 10% of total voting rights other than Central Government** as on the cut-off date of **22nd June 2019**.

VII. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes member of the Bank after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. **22nd June 2019**, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to Bank's Registrar, Link Intime India Pvt. Ltd. at delhi@linkintime.co.in.

VIII. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM through Ballot Paper.

IX. M/s PI & Associates, Practicing Company Secretaries (FRN: P2014UP035400) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the remote e-voting and voting at the meeting in a fair and transparent manner.

X. The Chairman shall at the AGM at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of Scrutinizer, by use of "Ballot Paper" for all those members who are present at the AGM and have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

XI. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make not later than 48 hours of the conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

XII. The Results along with the Report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.obcindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the NSE and BSE.

6. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received dividend of previous periods i.e. for the year from 2011-2012 to 2015-16, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for claiming the same.

Details of unpaid dividends containing names of the investor and Year of Dividend have also been placed on the website of the Bank under investor relations to enable the shareholders to claim by contacting the Registrar & Share Transfer Agent/or the Bank at

संपर्क करके दावा कर सकें। इसके अलावा, शेयरधारक इस मामले में किसी भी सहायता के लिए बैंक से mbd@obc.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा अधिनियम की धारा 10ख के प्रावधानों के अनुसार, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2011-12 से संबंधित अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश जो बैंक के पास हैं उनको 19.07.2019 को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना है।

जिन शेयरधारकों को वर्ष 2011-12 हेतु लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है या जिन्होंने इसके लिए दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए दावा करने हेतु बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि. से संपर्क करें। दावा न किए जाने की स्थिति में, देय तिथि को अप्रदत्त लाभांश खाते में शेष राशि आईईपीएफ में अंतरित कर दी जाएगी। बैंक ने संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक पत्र जारी किए हैं।

अन्य जानकारी

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
- उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बैंक की पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ बैंक की 25वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, यदि किसी सदस्य ने हार्ड प्रति की मांग नहीं की है, तो उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा रही है जिनके ई-मेल आईडी बैंक/निक्षेपागार सहभागी(गियों)/आरटीए के पास संप्रेषण के प्रयोजन से पंजीकृत हैं। ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं उनको उपस्थिति पर्ची व प्रॉक्सी फार्म के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बैंक की संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ बैंक की 25वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस की मूर्त प्रतियां अनुमत्य मोड से भेजी जा रही हैं।
- शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बैंक की पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक आम बैठक का नोटिस बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी उपलब्ध होंगे ताकि शेयरधारक उसे डाउनलोड कर सकें। ई-संप्रेषण के लिए पंजीकरण करने के बाद भी, शेयरधारक पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की निःशुल्क हार्ड प्रति प्राप्त करने के लिए डाक द्वारा या बैंक की ई-मेल आईडी mbd@obc.co.in या आरटीए delhi@linkintime.co.in. को ई-मेल भेजकर अनुरोध कर सकते हैं।
- **शेयरों का अमूर्तिकरण :** 1 अप्रैल, 2019 से मूर्त रूप में शेयरों के अंतरण पर रोक लगाने से संबंधित सेबी के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर अभी भी मूर्त रूप में है उनसे अनुरोध है कि वे यथाशीघ्र अपने शेयर अमूर्तीकृत करा लें।
- **पता बदलना अथवा ई-मेल आईडी अद्यतित करना :** पता अथवा ई-मेल आईडी बदलने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पते/ई-मेल आईडी में बदलाव की सूचना:
  - यदि उनके पास शेयर अमूर्त रूप में है तो अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी को दें

Corporate Office, Gurugram. Further, the shareholders can contact the Bank at mbd@obc.co.in for any assistance in the matter.

As per the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013. The Unpaid / Unclaimed Dividend for the year 2011-12 lying with the Bank is due for transfer to IEPF on 19.07.2019.

The shareholders who have not received or claimed dividend for the year 2011-12 are requested to contact the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd for claiming the same. If not claimed, the balance remaining outstanding in the unpaid dividend account on the due date will be transferred to IEPF. The Bank has issued reminder letters to the concerned shareholders.

OTHER INFORMATION

- Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report and valid photo identity card to the meeting.
- Electronic copy of the Full Annual Report of the Bank for FY 2018-19 inter alia containing Notice of the 25th Annual General Meeting indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/ Depository Participants(s)/RTA for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of Abridged Annual Report of the Bank for FY 2018-19 inter alia containing Notice of the 25th Annual General Meeting of the Bank indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent in the permitted mode.
- Members may also note that Full Annual Report of the Bank inter alia containing the notice of the AGM for FY 2018-19 will also be available on the Bank's website https://www.obcindia.co.in for download. Even after registering for e-communication, members can request for a hard copy of Full Annual Report, free of cost by post or by sending an email to the Bank's email id: mbd@obc.co.in or to Bank's RTA at delhi@linkintime.co.in.
- **Dematerialization of Shares**: Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized at the earliest in view of SEBI Guidelines restricting transfer of shares in physical form effective 1st April, 2019.
- **Change of address or updation of e-mail ID:** For change of address or email id, shareholders are requested to notify change in address / email id to:
  - Their respective Depository Participant in respect of holding shares in demat form and

- यदि उनके पास शेयर मूर्त रूप में है तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) यथा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को दें।

- रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट का पता

  मै. लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि.
  नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1 ब्लॉक एलएससी,
  सावित्री मार्केट के समीप, जनकपुरी,
  नई दिल्ली-110058
  दूरभाष नंबर.: +91-11-49411000
  फैक्स: +91-11-4141 0591
  ई-मेल आईडी: delhi@linkintime.co.in;
  वेबसाइट : www.linkintime.co.in

- **निवेशक किसी प्रकार की सहायता के लिए नीचे दिए पते पर भी सम्पर्क कर सकते हैं :**

  ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
  कॉरपोरेट कार्यालय – मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग
  द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 5
  सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001
  दूरभाष नंबर – 0124-4126281/285
  ई-मेल : mbd@obc.co.in; वेबसाइट : www.obcindia.co.in

- जिन शेयरधारकों के पास नामों के समान क्रम में, एक जैसे नामों में अथवा संयुक्त नामों में एक से अधिक फोलियो के शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इन्हें एक ही फोलियो में समेकित करने हेतु अपने शेयर प्रमाण-पत्र बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि. को भेजें।

- ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे हमारे या हमारे रजिस्ट्रार के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कराएं ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेल द्वारा भेज सकें। ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर अमूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रयोजन हेतु अपनी ई-मेल आईडी संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास पंजीकृत कराएं।

- शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

- कड़े सुरक्षा कारणों से सभागार के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं व्यवस्था करें।

मद संख्या - 2 से संबंधित व्याख्यात्मक कथन

व्याख्यात्मक कथन, जिसमें नोटिस के मद सं. 2 से संबंधित भौतिक तथ्य दिए गए हैं, निम्नानुसार हैं:

पूंजी जुटाने हेतु बैंक का कार्यक्रम

बासेल III के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को टियर I 9.98% (सीईटी 9.86%) और टियर II 2.75% के साथ बैंक का सीआरएआर 12.73% था। बैंक की अधिकृत पूंजी ₹3000 करोड़ तथा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹1370.21

— Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. in case of physical holding.

- Address of Registrar and Share Transfer Agent:

  M/s Link Intime India Pvt. Ltd
  Noble heights, 1st floor, Plot NH-2, C-1 Block LSC,
  Near Savitri Market, Janakpuri,
  New Delhi - 110058
  Phone Nos.: +91-11-49411000
  Fax: +91-11-41410591
  Email Id: delhi@linkintime.co.in; Website: www.linkintime.co.in

- **Investors may also contact the Bank at the under mentioned address for any assistance:**

  Oriental Bank of Commerce
  Corporate Office - Merchant Banking Division,
  Second Floor, Plot No.5,
  Sector - 32, Institutional Area, Gurugram – 122001
  Phone Nos. 0124-4126281/285
  E mail: mbd@obc.co.in; Website: www.obcindia.co.in

- Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd. *for consolidation into single folio*.

- The shareholders having shares in physical form are requested to register their email-ids with the Bank or our Registrar to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail. The shareholders holding shares in demat form are requested to register their email-ids with their respective Depository Participant for the above purpose.

- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

- Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.2

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No.2 of the Notice is as given below:

Capital Raising Programme of the Bank

As per Basel III, Bank's CRAR as on 31st March 2019 was 12.73% with Tier I at 9.98% (CET1 being 9.86%) and Tier II at 2.75%. The Authorised Capital of the Bank is ₹3000.00 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank is ₹1370.21 crore. In order to meet

करोड़ है। बासेल-III पूंजी विनियम के अनुपालन में निधियों की बढ़ती पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं बैंक की सामान्य कारोबार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक पूंजी जुटाने का प्रस्ताव करता है। निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित पूंजी योजना के अनुसार, बैंक वर्ष 2019-20 के दौरान, फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/राइट इश्यू / अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) अथवा मण्डल या बैंक के मण्डल की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप इसी प्रकार के इश्यू के माध्यम से ₹3000 करोड़ की पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) जुटाना चाहता है, जो अधिकृत पूंजी की सीमा के अधीन होगा। लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने के अध्यधीन, बैंक का इरादा, लागू कनूनों के अनुसार इश्यू की शुद्ध आय का उपयोग सीईटी 1 पूंजी को बढ़ाने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करने का है।

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 41 (4) के अनुसरण में शेयरधारकों के लिए किसी अन्य प्रतिभूति के निर्गम को अनुमोदित करना अनिवार्य है, यदि उन्हें समानुपातिक आधार पर ऑफर नहीं किए गए हैं। यह संकल्प, यदि पारित हो जाता है, तो यह बैंक की ओर से मंडल को वर्तमान शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूति निर्गम एवं आबंटित करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा ।

प्रस्तावित विशेष संकल्प निदेशक मंडल के सदस्यों से, पब्लिक ऑफर, राईट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट अथवा ऐसे अन्य इश्यू, जिन्हें बाजार की स्थितियों, कानून व प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुरूप मण्डल अपने विवेकाधिकार से उचित समझे, बशर्ते इसे केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी का अनुमोदन तथा अन्य अनुमोदन प्राप्त हो और बैंक में भारत सरकार की किसी भी समय प्रदत्त शेयर पूंजी 52% से कम न हो (भारत सरकार के मौजूदा निर्देशानुसार), द्वारा इक्विटी शेयरों/वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों का सृजन, प्रस्ताव, इश्यू, आबंटन करने के लिए, बिना किसी अगले अनुमोदन के सदस्यों को प्राधिकृत करने की अनुमति चाहता है।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार क्यूआईपी के लिए संकल्प की वैधता 365 दिन तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, यह विशेष संकल्प निदेशक मंडल को यह अधिकार देता है कि वह शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन लिए बिना सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों के साथ अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट लाए। सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार क्यूआईपी का निर्गम उस मूल्य पर होगा जो कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत दिए गए मूल्य सूत्र (क्यूआईपी न्यूनतम मूल्य) के अनुरूप निर्धारित किए गए मूल्य से कम न हो, तथापि, बैंक लागू कानूनों के अनुरूप 5% (पांच प्रतिशत) या क्यूआईपी न्यूनतम मूल्य पर लागू कानून के अंतर्गत अनुमत प्रतिशत तक छूट दे सकता है। ''संगत तारीख'' इक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण करने के लिए, का तात्पर्य है उस बैठक की तारीख जब बैंक का मंडल या समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेता है। अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/अधिकार निर्गम के माध्यम से इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण की संगत तिथि, सेबी आईसीडीआर विनियम और अन्य लागू कानून या विनियम में यथानिर्दिष्ट तिथि होगी। चूंकि प्रस्ताव के मूल्य आगे की तिथि के अलावा, निर्धारित नहीं किए जा सकते अतः जारी किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों के मूल्य बताना संभव नहीं है। प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों व नियमों का निर्धारण अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों, तथा अन्य एजेंसियों जिनकी आवश्यकता हो, के परामर्श से वर्तमान बाजार दशाओं तथा अन्य संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and to fund general business needs of the Bank, the Bank proposes to raise capital. As per the Capital Plan for FY 2019-20 approved by the Board of Directors, the Bank intends to raise an amount of ₹3000 crore (including share premium), subject to the ceiling of the Authorised Capital, through issue of shares in the form of Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issue / Qualified Institutions Placement (QIP) or such other issue as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank. Subject to compliance with applicable laws and regulations, the Bank intends to use the net proceeds of the issue to augment its CET I Capital and for general corporate purposes, in accordance with applicable laws.

Pursuant to Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security, if not offered to them on proportionate basis. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The proposed special resolution seeks the enabling authorization of the shareholders of the Bank to the Board of Directors (Board), without the need of any further approval from the Shareholders, to create, offer, issue and allot equity shares by way of Qualified Institutions Placement, Follow on Public offer, Rights Issue, or such other issue as the Board may in its absolute discretion think fit depending upon market conditions in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, pursuant to applicable laws and guidelines and subject to approval of Central Government, Reserve Bank of India, SEBI and other required approvals and subject to the shareholding of Govt. of India not falling below 52% of the paid-up equity share capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India).

In terms of SEBI ICDR Regulations, the validity of the resolution is restricted to 365 days for QIP. The above Special Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutions Placement with Qualified Institutional Buyers under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations without seeking fresh approval from the shareholders. In terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, the QIP Issue shall be at such price which is not less than the price determined in accordance with the pricing formula provided under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations (the QIP Floor Price). However, the Bank may in accordance with applicable laws, also offer a discount of not more than 5% or such percentage as permitted under applicable laws on the QIP Floor Price. “Relevant Date” for the purpose of pricing of Equity Shares shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue. The Relevant Date for the purpose of pricing of the Equity Shares by way of Follow on Public Offer (FPO)/Rights Issue will be the date as specified under the SEBI ICDR Regulations and other applicable law or Regulation. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of the shares/ securities to be issued. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Lead Managers and Advisors and such other agencies as may be required, considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

आबंटित किए गए इक्विटी शेयर, सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे। प्रस्ताव के अनुसार निर्गमित शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे।

इस उद्देश्य हेतु, विशेष संकल्प द्वारा बैंक के शेयरधारकों से सहमति लेना अपेक्षित है।

बैंक के निदेशक मंडल नोटिस की मद संख्या 2 में दिए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।

कोई भी निदेशक इस विशेष संकल्प में दिए गए प्रस्ताव से संबद्ध या हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

स्थान: गुरुग्राम **मुकेश कुमार जैन**
दिनांक: 13.05.2019 **प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank. The shares issued pursuant to the offering would be listed on the stock exchanges.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of shareholders by means of special resolution.

The Board of Directors of the Bank recommends the passing of the proposed resolution as set out in Item No.2 of the Notice.

None of the Directors is concerned or interested in the proposal contained in the Resolutions.

By order of the Board of Directors
For ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Place: Gurugram **Mukesh Kumar Jain**
Date: 13.05.2019 **Managing Director & CEO**